**संख्या:16/2018/605जेएल/22-3-18-100(7)/2017**

**प्रेषक,**

**सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**महानिरीक्षक,**
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3*** ***लखनऊ: दिनांक: 28 मार्च, 2018***

**विषय:** जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी रवेन्द्र पाल सिंह उर्फ गोरखी पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह को केन्द्रीय कारागार, आगरा में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-12338/सामा-1(3)/आगरा मं0 02/2014, दिनांक 26-03-2018 में दी गयी अनापत्ति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी रवेन्द्र पाल सिंह उर्फ गोरखी पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह को केन्द्रीय कारागार, आगरा में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**2-** कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**भवदीय,**

**सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर**
**संयुक्त सचिव।**

**संख्या:16/2018/605जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, महराजगंज।
3. जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
4. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा एवं अधीक्षक, जिला कारागार, महराजगंज।
5. गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**हरि नारायण गिरि**
**अनु सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in